न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 165/23 (धारा 76 भू राज0भू.अधि0 1956) (RCMS No.2023/185)

आम जनता भगवतगढ जरिये–

1. सोभागमल पुत्र रघुनाथ जाति ब्राहमण
2. कन्हैयालाल पुत्र लादूराम जाति ब्राहमण (हजब)
3. जगराम पुत्र बजरंगलाल जाति गुर्जर
4. हरिनारायण पुत्र अमरा कुम्हार
5. रतनलाल पुत्र मोतीलाल महाजन जाति महाजन (हजब)
6. बृजविहारी गोहिल पुत्र औंकार पूर्विया जाति पूर्विया
7. राधेश्याम पुत्र रामनाथ जाति ब्राहमण
8. मोहनलाल पुत्र किशनगोपाल जाति ब्राहमण
9. घनश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण
10. रमेश पुत्र प्रहलाद शर्मा जाति ब्राहमण

निवासीयान ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र प्रहलाद
2. महेशचन्द पुत्र प्रहलाद
3. श्रीमती चांद देवी पत्नी प्रहलाद (फौत)
4. गीतादेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण
5. ग्राम पंचायत भगवतगढ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपजिला कलक्टर चौथ का बरवाडा दिनांक 28.12.2012 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 469 दिनांक 1.8.1971 ग्राम भगवतगढ ग्राम पंचायत भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री रघुवीरसिंह राजावत वकील अपीलान्ट।
2. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता वकील अपीलान्ट।
3. श्री कमलेश कुमार जैन वकील रैस्पोडेन्ट।
4. श्री लोकेश कुमार सीठा वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2024

उक्त द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाडा के निर्णय दिनांक 28.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि सरपंच गाम पंचायत भगवतगढ द्वारा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रैस्पोडेन्टस के पिता प्रहलाद के नाम आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 469 दिनांक 01.08.1971 को तस्दीक किया गया। इस आवंटन के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 469 दिनांक 01.08.1971 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत उपजिला कलक्टर चौथ का बरवाडा के समक्ष अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट एक अपील पेश की गई। जिसमें तहत अदालत उपजिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2012 पारित करते हुये यह माना कि नामान्तरकरण संख्या 469 दिनांक 1.8.191 के विरूद्ध लगभग 35 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई जो जो अक्षम्य बिलम्ब है। जबकि नामान्तरकरण से संबधित भूमि रैस्पोडेन्ट के पिता प्रहलाद को नियमानुसार आवंटन हुई है तथा आवंटन का नामान्तरकरण से इन्दाज होकर खातेदारी प्राप्त हुई है तथा खातेदार की हैसियत से रैस्पोडेन्ट संख्या 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय की है जिसके आधार पर रैस्पोडेन्ट संख्या 4 खातेदार है। रैस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा गिरदावरी में काश्त होना अंकित है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की कार्यवाही में आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता और अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2012 से निरस्त कर दी गई है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.92 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत भगवतगढ़ के द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 469 तस्दीक करने से पूर्व विधिवत जांच किये बिना गलत रूप से नामान्तरकरण तस्दीक किया है। रैस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के पिता तथा नम्बर 3 के पति मृतक प्रहलाद पुत्र जमनालाल ब्राहमण निवासी भगवतगढ को वास्तविक तौर पर खसरा नम्बर 2217 में कभी भी 10 बीघा भूमि का आवंटन नहीं हुआ था। न ही इस प्रकार का कोई आवंटन आदेश रिकार्ड में उपलब्ध है। मृतक प्रहलाद ने पटवारी हल्का से मिलकर एवं साज कर अपने हक में भूमि का आवंटन होना बताकर गलत रूप से नामान्तरकरण भरवा लिया। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भी ग्राम पंचायत की बैठक में नामान्तकरण को रखे बिना नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। इस संबंध में किसी प्रकार की मजमेआम में कोई जॉच नहीं की गई। इसके अलावा ग्राम पंचायत को आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं होने के बाबजूद भी ग्राम पंचायत की ओर से उक्त नामान्तकरण नियम विरूद्ध तस्दीक किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा यह नामान्तरकरण दिनांक 24.03.1971 को भरा गया है तथा इसकी तुलना रिपोर्ट दिनांक 22.04.1971 को की गई एवं तुलना के करीब तीन, सवा तीन माह पश्चात ग्राम पंचायत की ओर से नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, जो कतई गलत एवं अनुचित है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 2217 रकबा 10 बीघा पर मृतक प्रहलाद

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

का अथवा उसके वारिसों का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। मौके पर प्रहलाद को कभी कब्जा ही नहीं मिला था, क्योंकि विवादित भूमि शुरू से सार्वजनिक उपयोग की भूमि रही है, जिसमें हनुमान जी महाराज का 100 वर्षों से अधिक का पुरातन मन्दिर बना हुआ है। जिसमें धार्मिक आयोजन होते रहते हैं तथा मन्दिर के आस–पास की भूमि धार्मिक आयोजन के उपयोग में आती है एवं सरकारी स्कूल के बच्चों के खेल के मैदान के उपयोग में भी आती है। विवादित भूमि में से होकर अपीलान्ट सहित समस्त ग्रामवासी अपने खेत एवं कूओं पर पैदल एवं गाडी, वैल, ट्रैक्टर आदि से आवागमन करते रहे हैं तथा वर्तमान में भी उक्त उपयोग में ही यह भूमि काम में आ रही है। ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर प्रहलाद का कब्जा न होते हुये भी बिना जांच किये ही उसके पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। प्रथम तो प्रहलाद को विवादित भूमि का किसी तरह का कोई आवंटन ही नहीं हुआ था और यदि रैस्पोडेन्ट के अनुसार आवंटन होना भी मान लिया जाए तो भी विवादित भूमि पर रैस्पोडेन्टस या उनके पिता प्रहलाद का कभी कोई कब्जा नहीं रहा और न ही आवंटन शर्तों की पालना ही की गई। मृतक प्रहलाद ने गलत एवं नाजायज रूप से उक्त भूमि में से 8 बीघा भूमि का विक्रय रैस्पोडेन्ट संख्या 4 मु0 गीतादेवी पत्नी राजेन्द्र शर्मा के हक में कर दिया, जबकि मौके पर मृतक प्रहलाद का कब्जा काश्त ही नहीं था तो उसके द्वारा मु0 गीता देवी को कब्जा संभलवाये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिऐ रैस्पोडेन्ट के हक में किये गये बेचान का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। चूंकि रैस्पोडेन्टस द्वारा समस्त कार्यवाही गुपचुप तरीके से की गई थी। इसलिए इसे बारे में अपीलान्टस को कोई जानकारी नहीं हो पाई। इसके अलावा अवैध व नियम विरूद्ध विक्रय के संबंध में पृथक से कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं रह जाता है, क्योंकि मृतक प्रहलाद के नाम वास्तविक तौर पर कोई भूमि आवंटित ही नहीं हुई थी। वरन् फर्जी व गलत रूप से अपने नाम आवंटन होना बताकर अपीलाधीन नामान्तरकरण भरवाकर तस्दीक करवाया है। ऐसे फर्जी व मिथ्या आवंटन को लेकर उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का कोई महत्व नहीं था। ऐसा कोई आवंटन आदेश ही मृतक प्रहलाद के नाम रिकार्ड में नहीं रहा है। उप जिला कलक्टर ने यह मानकर अहम कानूनी भूल की है कि आवंटन को निरस्त कराने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिऐ थी। जबकि रैस्पोडेन्ट के नाम से किसी प्रकार की कोई भूमि आवंटित नहीं हुई है तो कौन से आवंटन को निरस्त कराते यह स्पष्ट नहीं है। अपीलाधीन नामान्तकरण के विरूद्ध विलम्ब से अपील पेश किये जाने के संबंध में अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत मीमो आफ अपील के मद नम्बर 6 में देरी के संबध में उचित कारण दर्शाये गये हैं तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया गया है। जिसके खण्डन में रैस्पोडेन्ट ने कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया है। इसलिए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अखण्डनीय रहा है। उस पर विश्वास नहीं किये जाने का कोई आधार नहीं था। इसके अलावा अवैध व शून्य प्रभाव लिए

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आदेश को चुनौती दिए जाने हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं है। कभी भी इस तरह के आदेश को चुनौती दी जा सकती है। चूंकि उपरोक्त प्रकरण में नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व नामान्तरकरण के नियमों की कतई पालना नहीं की गई है। इस बिन्दु पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता नकल का आवेदन पत्र दिनांक 06.02.2013 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था जिस पर दिनांक 08.02.2013 को निर्णय की नकल प्राप्त हुई। अतः जानकारी की तिथि व अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त होने की अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2012 व ग्राम पंचायत भगवतगढ की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 469 दिनांक 01.08.1971 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2012 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण उक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्ट द्वारा यह तर्क दिया गया है कि रैस्पोडेन्ट को किसी तरह की कोई भूमि का आवंटन नहीं हुआ जबकि विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 को भूमि आवंटित होने के बाद खातेदारी प्राप्त हुई है व खातेदार की हैसियत से रैस्पोडेन्ट को भूमि विक्रय की गई है। विवादित भूमि में रैस्पोडेन्ट की काश्त होना भी माना है। जहां तक अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत की गई अपील को अन्दर मियाद माने जाने का प्रश्न है तो अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ किसी तरह का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। जबकि सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया जाना आवश्यक है। इसलिए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता है। विवादित भूमि में खेल मैदान होने ,हनुमान जी का पुरातन मन्दिर बने होने, आम रास्ते के रूप में काम आने के संबंध में मौखिक बहस के अलावा किसी तरह का कोई दस्तावेजी साक्ष्य या रिकार्ड न तो अदालत हाजा और न ही अदालत मातहत में अपीलान्टस की ओर से पेश किया गया। दूसरी ओर रैस्पोडेन्टस की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि की खातेदारी मिलने के बाद भूमि का विक्रय खातेदार द्वारा किया गया था तथा विवादित भूमि की गिरदावरी में फसल काश्त हो रखी है। अपीलान्ट की ओर से रैस्पोडेन्ट को परेशान करने की नियत से आधारहीन तथ्यों पर उक्त अपील पेश की गई है, जो कि निराधार होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2012 यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि जब विवादित भूमि का कोई आवंटन आदेश ही नहीं है तो किस आदेश को चुनौती दी जाती यह स्पष्ट नहीं है। चूंकि बिना किसी आवंटन आदेश के आधार पर नामान्तकरण खोला गया था। इसलिए नामान्तकरण के आदेश को चुनौती अदालत मातहत में दी गई थी। अदालत मातहत ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत रिकार्ड को देखे बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2012 व ग्राम पंचायत भगवतगढ़ की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 469 दिनांक 01.08.1971 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्टस ने ग्राम पंचायत भगवतगढ़ की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 469 दिनांक 01.08.71 के विरूद्ध अदालत मातहत में इस आशय की अपील पेश की कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर नामान्तकरण अपने नाम तस्दीक करवा लिया तथा उक्त नामान्तकरण के आधार पर भूमि दूसरे रैस्पोडेन्ट को भेज दी गई। जबकि विवादित भूमि 2217 रकबा 10 बीघा सार्वजनिक उपयोग की सिवायचक भूमि है तथा इस भूमि में 100 वर्ष पुराना हनुमान जी का मन्दिर, खेल मैदान, आम रास्ता आदि स्थित हैं। विद्वान उपजिला कलक्टर ने उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की ओर से पेश लिखित बहस का हवाला देते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2012 को पारित किया है। जिसमें यह उल्लेख किया है कि अपीलान्टस द्वारा उक्त भूमि को सार्वजनिक होना बताया गया है। जिसमें हनुमान जी का मन्दिर, स्कूल का खेल मैदान व ग्रामवासियों के आने–जाने के काम आ रही है, परन्तु अपीलान्टस की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया। जिससे यह साबित होता हो कि उक्त भूमि में कोई हनुमान जी का मन्दिर हो या स्कूल के खेलने वाले बच्चों के काम आ रही हो या रास्ते के आने–जाने के काम आ रही हो। नामान्तकरण संख्या 469 दिनांक 01.08.1971 के विरूद्ध भी 35 वर्ष बाद अपील पेश की गई है। दूसरी ओर अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत गिरदावरी के मुताबिक उक्त भूमि में कई बार फसल काश्त हुई है। 35 वर्ष के विलम्ब से अपील पेश करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। केवल सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन के आधार पर स्वीकृत किये गये नामान्तकरण को खारिज किये जाने को उचित नहीं माना है। नामान्तकरण से संबंधित भूमि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित होने, नामान्तकरण के आधार पर खातेदारी प्राप्त होने के बाद खातेदार की हैसियत से रैस्पोडेन्ट संख्या 2 को विक्रय करने व रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के खातेदार होने तथा विवादित भूमि में रैस्पोडेन्ट संख्या 2 की फसल होने के संबंध में गिरदावरी पेश किये जाने का उल्लेख किया है। अपीलाधीन निर्णय में यह भी माना है कि अपीलान्टस का मूल उद्देश्य भूमि को सिवायचक दर्ज करवाने का है। नामान्तकरण के निरस्त होने से आवंटन निरस्त नहीं हो सकता है। यदि अपीलान्टस को आवंटन निरस्त कराकर भूमि रिकार्ड में सिवायचक दर्ज करानी है तो इसके लिए सक्षम न्यायालय में वाद

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दायर किया जाना चाहिए। इस आधार पर अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया है। विद्वान उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2022 में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी हल्का की ओर से नामान्तकरण खोले जाने व इसकी जॉच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा किये जाने के बाद नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। जहां तक रैस्पोडेन्टस को आवंटित भूमि के सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने, पुरातन हनुमान मन्दिर बना होने व रास्ते के आवागमन में काम आने का प्रश्न है तो अपीलान्टस की ओर से न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में इस तरह का दस्तावेज या साक्ष्य पेश किया है। जिससे उनके कथन की पुष्टि होती हो। उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि स्पष्ट एवं स्पीकिंग है। इसमें यह अभिमत दिया गया है कि नामान्तकरण की अपील के माध्यम से भूमि के आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में अपीलान्टस को आवंटन के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आने के कारण उक्त निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 28.12.2012 व ग्राम पंचायत भगवतगढ़ की ओर से स्वीकृत किया गया नामान्तकरण संख्या 469 दिनांक 01.08.1971 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर